



पत्र क्रमांक / बी.एड. / डी.एड. / प्रवेश शुल्क / 2013-14 / 2823 रायपुर दिनांक 18.07.13

प्रति,

प्राचार्य

.....
.....

विषय :- राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अंतरिम शुल्क के संबंध में।

संदर्भ :- शासन का आदेश क्रमांक 6-31 / 2012 / 20-तीन दिनांक 24.07.2012।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य के निजी शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2012-13 में प्रवेश हेतु अंतरिम शुल्क शासन के सन्दर्भित आदेश द्वारा निर्धारित किया गया था। उक्त पाठ्यक्रम में सत्र 2013-14 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है एवं अंतिम शुल्क के निर्धारण सितम्बर 2013 तक निर्धारित होने की संभावना है।

अतः शुल्क निर्धारण हेतु शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा अनुसार अंतिम शुल्क का निर्धारण नहीं होने तक शासन के सन्दर्भित आदेश में अंकित अंतरिम शुल्क अनुसार ही आपके महाविद्यालय में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2013-14 में प्रवेश की कार्यवाही करें तथा प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को यह सूचित करें कि यदि अंतिम शुल्क अंतरिम शुल्क से अधिक निर्धारित होती है तो अभ्यर्थियों को यह अधिक राशि महाविद्यालय में जमा करनी होगी और यदि अंतिम शुल्क अंतरिम शुल्क से कम तय होती है तो महाविद्यालयों को दोनों शुल्क के अंतर की राशि प्रशिक्षार्थियों को वापस करनी होगी।

तदनुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है।


(अनिल राय)
संचालक

पृ क्रमांक / बी.एड. / डी.एड. / प्रवेश शुल्क / 2013-14 / 2824 एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर
प्रतिलिपि - रायपुर दिनांक 18.07.13

1. सचिव, छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित है।
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को सूचनार्थ संप्रेषित है।


संचालक

एस.सी.ई.आर.टी. छ.ग. रायपुर